

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
पीठासीन अधिकारी - श्री जसमीत सिंह संघू (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 121/2012

- 1- श्री ज्ञान सिंह उम्र 60 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह
- 2- श्री प्रताप सिंह उम्र 45 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह
- 3- श्रीमती बन्नी पत्नि स्व. श्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह (मृतक)
तीनो जाति रावत निवासी ग्राम जेतगढ बामनिया तहसील ब्यावर
3/1- श्रीमती जमना वयस्क पत्नि श्री बाबूसिंह पुत्री स्व. पन्ना उर्फ पन्ना सिंह
जाति रावत निवासी बराखन, तहसील, टाडगढ
3/2- श्रीमती रेशमा वयस्क पत्नि श्री देवी सिंह पुत्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह जाति
रावत निवासी नेगडिया (सिगडाईका बाडिया) तहसील टाडगढ

-----प्रार्थीगण

ब न म

- 1- श्री प्रेमसिंह उम्र 60 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
- 2- श्री मक्कन सिंह उम्र 55 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
- 3- श्री हजारि सिंह उम्र 50 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
- 4- श्री भोलूसिंह उम्र 45 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
- 5- श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 35 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
- 6- श्रीमती गोमी उम्र 78 वर्ष बेवा स्व. श्री भवना
सभी जाति रावत निवासी ग्राम जेतगढ बामनिया तहसील ब्यावर
- 7- राजस्थान सरकार जरिये भू-धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर
- 8- श्रीमान् उप पंजीयक महोदय ब्यावर जिला अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 13-05-2019

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 09-06-2016 को विभाजन की अंतरिम/ प्रारंभिक निर्णय/डिक्री पारित कर आदेश दिया गया कि - " वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम जेतगढ बामनिया की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 182 के ख. सं. 987/2, 988/2, 989/2, 990, 991, 992, 996, 998, 1001, 1002, 1003 व 1004 तथा आदेश दिनांक 11.07.2018 से 999 की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ वादीगण को 1/2 हिस्से का तथा खाता संख्या 183 की आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के साथ 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। यथानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा जरिये माप एवं सीमांकन मौके पर पक्षकारान के मध्य बंटवारा करने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार ब्यावर पर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित करने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को वादीगण के हिस्से की आराजी में दखलअंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली तथा हस्तांतरण आदि से निषेध किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।"

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/484 दिनांक 30.01.2019 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्ता की उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई जिन्होंने यथाप्रस्ताव बंटवारा की अंतिम डिक्री जारी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम जेतगढ बामनिया पटवार क्षेत्र जेतगढ बामनिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजियावास तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की आराजीयात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

.....लगातार

(जसमीतसिंह संघू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर




क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	ज्ञानसिंह प्रतापसिंह पि. पन्नासिंह जमना रेशमा पुत्रियां पन्नासिंह बन्नी पत्नि स्व. पन्नासिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।	989/3 991 992 998 999 1001 1003 1004	00-10-10 00-12-00 00-10-00 00-03-10 00-10-10 00-06-00 00-12-00 00-11-00	बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.1 बा.1	
	कुल कित्ता	8	03-15-10		2.25
2	प्रेमसिंह माखनसिंह हजारीसिंह कल्याण सिंह पि. भवानसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है।	987/2 988/2 989/2 990 996 1002	00-11-00 00-12-00 01-07-10 00-16-00 00-02-10 00-06-10	बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.3 बा.2	
	कुल कित्ता	6	03-15-10		2.25
3	प्रेमसिंह माखनसिंह हजारीसिंह कल्याण सिंह लक्ष्मणसिंह पि. भवानसिंह गोमी पत्नि स्व. भवानसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।	987/1 988/1 989/1	00-01-00 00-09-00 00-03-00	बा.3 बा.3 बा.3	
	कुल कित्ता	3	00-13-00		0.15
4	ज्ञानसिंह प्रतापसिंह पि. पन्नासिंह जमना रेशमा पुत्रियां पन्नासिंह बन्नी पत्नि स्व. पन्नासिंह हि.1/2 प्रेमसिंह माखनसिंह हजारीसिंह कल्याण सिंह लक्ष्मणसिंह पि. भवानसिंह गोमी पत्नि स्व. भवानसिंह हि. 1/2 कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में किसी भी रंग से नहीं दर्शाया गया है।	1573/2	00-04-00	चाह	
	कुल कित्ता	1	00-04-00		

यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपने-अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-05-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (जसजीत सिंह संधु)
 (जसजीत सिंह संधु)
 उपखण्ड अधीकारि एवं सहा. कलक्टर
 सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संघु आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 121/2012

- 1- श्री ज्ञान सिंह उम्र 60 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह
 - 2- श्री प्रताप सिंह उम्र 45 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह
 - 3- श्रीमती बन्नी पत्नि स्व. श्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह (मृतक)
- तीनों जाति रावत निवासी ग्राम जेतगढ बामनिया तहसील ब्यावर
- 3/1- श्रीमती जमना वयस्क पत्नि श्री बाबूसिंह पुत्री स्व. पन्ना उर्फ पन्ना सिंह जाति रावत निवासी बराखन, तहसील, टाडगढ
- 3/2- श्रीमती रेशमा वयस्क पत्नि श्री देवी सिंह पुत्री पन्ना उर्फ पन्नासिंह जाति रावत निवासी नेगडिया (सिगडाईका बाडिया) तहसील टाडगढ

—-प्रार्थीगण

ब न म

- 1- श्री प्रेमसिंह उम्र 60 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
 - 2- श्री मक्कन सिंह उम्र 55 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
 - 3- श्री हजारी सिंह उम्र 50 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
 - 4- श्री भोलूसिंह उम्र 45 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
 - 5- श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 35 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री भवना
 - 6- श्रीमती गोमी उम्र 78 वर्ष बेवा स्व. श्री भवना
- सभी जाति रावत निवासी ग्राम जेतगढ बामनिया तहसील ब्यावर
- 7- राजस्थान सरकार जरिये भू-धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर
- 8- श्रीमान् उप पंजीयक महोदय ब्यावर जिला अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि, यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम जेतगढ बामनिया पटवार क्षेत्र जेतगढ बामनिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजियावास तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	ज्ञानसिंह प्रतापसिंह पि. पन्नासिंह जमना रेशमा पुत्रियां पन्नासिंह बन्नी पत्नि स्व. पन्नासिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।	989/3 991 992 998 999 1001 1003 1004	00-10-10 00-12-00 00-10-00 00-03-10 00-10-10 00-06-00 00-12-00 00-11-00	बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.1 बा.1	
	कुल कित्ता	8	03-15-10		2.25
2	प्रेमसिंह माखनसिंह हजारीसिंह कल्याण सिंह पि. भवानसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है।	987/2 988/2 989/2 990 996 1002	00-11-00 00-12-00 01-07-10 00-16-00 00-02-10 00-06-10	बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.3 बा.2	
	कुल कित्ता	6	03-15-10		2.25

(जसमीतसिंह संघु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
3	प्रेमसिंह माखनसिंह हजारीसिंह कल्याण सिंह लक्ष्मणसिंह पि. भवानसिंह गोमी पत्नि स्व. भवानसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।	987/1 988/1 989/1	00-01-00 00-09-00 00-03-00	बा.3 बा.3 बा.3	
	कुल कित्ता	3	00-13-00		0.15
4	ज्ञानसिंह प्रतापसिंह पि. पन्नासिंह जमना रेशमा पुत्रियां पन्नासिंह बन्नी पत्नि स्व. पन्नासिंह हि.1/2 प्रेमसिंह माखनसिंह हजारीसिंह कल्याण सिंह लक्ष्मणसिंह पि. भवानसिंह गोमी पत्नि स्व. भवानसिंह हि. 1/2 कौम रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में किसी भी रंग से नहीं दर्शाया गया है।	1573/2	00-04-00	चाह	
	कुल कित्ता	1	00-04-00		

यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपने-अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरहफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्व मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13-05-2019 को जारी किया गया।



(जसमीत सिंह संधू)
 (जसमीत सिंह संधू)
 आइ.ए.एस.
 उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	



(जसमीत सिंह संधू)
 (जसमीत सिंह संधू)
 आइ.ए.एस.
 उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 सहायक कलक्टर, ब्यावर

